न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–14/2023
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–13.09.2023
निर्णय दिनांक–05.12.2024

नर्बदा देवी पत्नि पन्नालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थिया

बनाम

1. रामदेवा पुत्र भीवा जाति बैरवा निवासी ग्राम नाथडी तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. कजोड पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम नाथडी तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. पन्ना पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम नाथडी तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. भंवरलाल पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम नाथडी तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. प्रेम पुत्री किशनलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम नाथडी तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थिया–श्री विवेक चौधरी एड0, श्री ईरशाद खान एड0
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01–श्री नन्दकिशोर शर्मा एड0

आवेदन रास्ता दिलाया जाकर नक्शा शीट में तरमीम किये जाने बाबत्

अन्तर्गत धारा 251–ए राज.टि.एक्ट. 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ता दिलवाया जाकर नक्शा शीट में तरमीम किये जाने बाबत् पेश किया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार भूमि आराजी ख0न0 81 रकबा 0.5943 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम नाथडी, पटवार हल्का नाथडी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। आराजी ख0न0 29 व 30 अप्रार्थी संख्या 01 व आराजी ख0न0 82/1 वाके ग्राम नाथडी अप्रार्थी संख्या 02 ता 05 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थिया का अपनी आराजी ख0न0 81 पर पहुंचने हेतु कोई रास्ता नही है। प्रार्थिया ग्राम नाथडी में स्थित ख0न0 25 व 27 गै.मु. रास्ते से होकर अप्रार्थीगण के उक्त वर्णित खेतो की मेड से होकर अपनी आराजी पर पहुंचती है। प्रार्थीया के पास इसके अतिरिक्त अपनी आराजी पर पहुंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक एवं नजदीक मार्ग उपलब्ध नही है। इस कारण प्रार्थीया को अप्रार्थीगण की आराजी ख0न0 29, 30 व 82/1 की मेर से अपनी कृषि यन्त्रो एवं साधनो को आराजी काश्त करने हेतु लाने ले जाने हेतु 20 फिट चौडा

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

रास्ता की अति आवश्यकता है। प्रार्थीया, ने अप्रार्थीगण रास्ते के लिए नियत मुआवजा राशि देने को भी कहा। किन्तु अप्रार्थीगण ने प्रार्थिया को रास्ता देने से साफ इनकार कर दिया है। प्रार्थीया के पास अपनी आराजी पर पहुंचने हेतु कोई वेकल्पिक रास्ता विद्यमान नही है और न ही कोई रास्ता उपलब्ध है। इस कारण प्रार्थिया को रास्ते की अति आवश्यकता होने से रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया को अपनी आराजी ख0न0 81 रकबा 0.5943 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम नाथडी पर पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी ख0न0 29, 30 वाके ग्राम नाथडी की मेड से 20 फिट चौडा रास्ता दिया जावे एवं रास्ते की तरमीम नक्शा शीट में की जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं तहसीलदार पीपलू से चाहे गये रास्ते की मौका निरीक्षण रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 02 ता 05 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर शर्मा ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत कर कथन किया की प्रार्थीया का रास्ता प्रार्थी की भूमि में से कही से भी नही जाता है। इस कारण उक्त चरण में जो तथ्य अंकित किये गये है। वह मनगढ़त है। प्रार्थीया द्वारा अपनी भूमि ख0न0 81 में सीधा व कम दूरी का रास्ता ख0न0 653/82 व 82/1 में से होकर है। लेकिन प्रार्थिया जानबुझकर अप्रार्थी संख्या 01 को परेशान करने के लिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नही है तथा प्रार्थिया ने ख0न0 653/82 के खातेदार को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है। इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अपितु खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थिया का रास्ता अप्रार्थी की भूमि में से नही जा रहा है। इस कारण रास्ते मांग करना गलत है। प्रार्थिया को रास्ते की आवश्यकता नही है। क्योंकि प्रार्थिया के पास वैकल्पिक व नजदीकी रास्ता मौजूद है। प्रार्थिया द्वारा केवल अप्रार्थी संख्या 01 को नाजायज रूप से परेशान करने व नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो चलने योग्य नही है। बल्कि खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थीया के पास अन्य वैकल्पिक नजदीकी रास्ता मौजूद होने के कारण ख0न0 653/82 के खातेदार को पक्षकार नही बनाये जाने के कारण प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करे। साथ ही तहसीलदार पीपलू ने भी न्यायालय आदेश अनुसार रिपोर्ट तैयार नही की है। बल्कि एक ख0न0 छोडकर रिपोर्ट की है, जो गलत है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए खारिज किया जावे।

तहसीलदार पीपलू ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया की प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर पहूंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 15 फिट एवं लम्बाई 193 फिट है। ख0न0 29 में प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 173 फिट व चौडाई 15 फिट व ख0न0 30 में लम्बाई 20 फिट व चौडाई 15 फिट है। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 0.[illegible] हैक्ट. है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 11,82,135 रूपये है। दोगुनी दर से प्रतिकर राशि [illegible] रूपये है। विवादित आरजीयात आवेदकगण की खातेदारी में दर्ज है। ख0न0 29 व 30 से रास्ता प्रस्तावित [illegible] प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल रंग से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई [illegible] जैसे पेड, दीवार आदि नही है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने के लिए सहमत नही है। प्रस्तावित रास्ता [illegible] रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

तहसीलदार पीपलू से प्राप्त रिपोर्ट पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थिया अभिभाषक ने बहस में बताया कि भूमि आराजी ख0न0 81 रकबा 0.5943 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम नाथडी में स्थित है। आराजी ख0न0 29 व 30 अप्रार्थी संख्या 01 व आराजी ख0न0 82/1 वाके ग्राम नाथडी अप्रार्थी संख्या 02 ता 05 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थिया का अपनी आराजी ख0न0 81 पर पहुंचने हेतु कोई रास्ता नही है। प्रार्थिया ग्राम नाथडी में स्थित ख0न0 25 व 27 गै.मु. रास्ते से होकर अप्रार्थीगण के उक्त वर्णित खेतो की मेड से होकर अपनी आराजी पर पहुंचती है। प्रार्थीया के पास इसके अतिरिक्त अपनी आराजी पर पहुंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक एवं नजदीक मार्ग उपलब्ध नही है। ख0न0 81 पर मौके पर निर्माण होने के कारण वर्तमान में प्रार्थिया, अप्रार्थीगण खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 29, 30 से आ जा रहे है। प्रार्थीया के पास अपनी आराजी पर पहुंचने हेतु कोई वेकल्पिक रास्ता विद्यमान नही है और न ही कोई रास्ता उपलब्ध है। इस कारण प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर अपनी आराजी ख0न0 81 रकबा 0.5943 हैक्ट. भूमि वाके ग्राम नाथडी पर पहुंचने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 29, 30 वाके ग्राम नाथडी से मुताबिक तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट अनुसार 15 फिट चौडा रास्ता दिया जाकर रास्ते की तरमीम नक्शा शीट में की जावे।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी ने अपनी बहस में बताया की प्रार्थीया का रास्ता अप्रार्थी की भूमि में से कही से भी नही जाता है। प्रार्थना पत्र के तथ्य मनगढ़त है। प्रार्थीया द्वारा अपनी भूमि ख0न0 81 में सीधा व कम दूरी का रास्ता ख0न0 653/82 व 82/1 में से होकर है। लेकिन प्रार्थिया जानबुझकर अप्रार्थी संख्या 01 को परेशान करने के लिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नही है तथा प्रार्थिया ने ख0न0 653/82 के खातेदार को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है। इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अपितु खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थिया का रास्ता अप्रार्थी की भूमि में से नही जा रहा है। इस कारण रास्ते मांग करना गलत है। प्रार्थिया को रास्ते की आवश्यकता नही है। क्योंकि प्रार्थिया के पास वैकल्पिक व नजदीकी रास्ता मौजूद है। प्रार्थिया द्वारा केवल अप्रार्थी संख्या 01 को नाजायज रूप से परेशान करने व नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जो चलने योग्य नही है। बल्कि खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थीया के पास अन्य वैकल्पिक नजदीकी रास्ता मौजूद होने के कारण ख0न0 653/82 के खातेदार को पक्षकार नही बनाये जाने के कारण प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करे। साथ ही तहसीलदार पीपलू ने भी न्यायालय आदेश अनुसार रिपोर्ट तैयार नही की है। बल्कि एक ख0न0 छोडकर रिपोर्ट की है, जो गलत है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए खारिज किया जावे।

तहसीलदार पीपलू ने अवगत कराया की भूमि ख0न0 81 में सीधा व कम दूरी का रास्ता ख0न0 653/82 व 82/1 में से होकर मुताबिक प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थीया को रास्ता दिया जा सकता था। लेकिन मौका निरिक्षण किया जाने पर ज्ञात हुआ की ख0न0 653/82 पर मौके पर निर्माण होने के कारण ख0न0 653/82 से सीधा रास्ता नही दिया गया है। प्रार्थिया द्वारा ख0न0 29 व 30 के खातेदार को भी पक्षकार बनाया गया है। ख0न0 653/82 निर्माण कार्य होने के कारण एवं प्रतिपक्षी संख्या 01 प्रकरण में पक्षकार होने की स्थिती में ख0न0 29 व [illegible] से रास्ता, मौका निरिक्षण कर नियमानुसार मौका निरिक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसमें किसी प्रकार की [illegible] त्रुटी है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with ACE Scanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अनुसार अन्य खातेदारी की जोत में से नया मार्ग दिये जाने हेतु संक्षिप्त जॉच के बाद यह समाधान होना आवश्यक हैं कि प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता हो तथा यह जोत में सुविधाजनक उपयोग उपभोग के लिए नहीं है। धारा 251–ए में खातेदार को पडौसी खातेदार की भूमि से रास्ता मांगने का प्रावधान हैं। किन्तु यह भी देखा जाना चाहिए कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का स्वरूप बिगाड़ने के उद्देश्य से उक्त प्रावधान का उपयोग तो नहीं हो रहा है। तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट अनुसार आवेदक अपनी खातेदारी भूमि में ख0न0 81 रकबा 0.5943 हैक्ट. वाके ग्राम नाथडी, पटवार हल्का नाथडी पर आने जाने के लिए कोई अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता भी बतायी गई है। लेकिन अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या 01 ने अपनी बहस में खण्डन किया प्रार्थीया द्वारा अपनी भूमि ख0न0 81 में सीधा व कम दूरी का रास्ता ख0न0 653/82 व 82/1 में से होकर है तथा प्रार्थिया ने ख0न0 653/82 के खातेदार को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनांया है। इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। लिहाजा प्रार्थना पत्र, मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अवलोकन, तहसीलदार पीपलू की बहस से स्पष्ट है की ख0न0 653/82 में पक्का निर्माण कार्य होने के कारण रास्ता ख0न0 653/82 व 82/1 में से रास्ता प्रस्तावित नही किया गया है। प्रार्थिया द्वारा ख0न0 29, 30 के खातेदार को भी पक्षकार बनाया गया है। ख0न0 653/82 से रास्ता प्रस्तावित नही किया गया है। इस कारण प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नही होने के कारण 653/82 के खातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक प्रतीत नही होता है। प्रस्तावित रास्ता ख0न0 29, 30 से होकर है। जिसके खातेदार प्रकरण में पक्षकार है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 की उक्त आपत्ति खारिज किये जाने योग्य है। इस कारण प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाती है एवं उक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया को अपनी खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 81 रकबा 0.5943 हैक्ट. वाके ग्राम नाथडी, पटवार हल्का नाथडी में काश्त के उपयोग उपभोग हेतु आने जाने के लिए भूमि आराजी ख0न0 27 किस्म गै.मु. रास्ता से प्रतिपक्षी संख्या 01 की भूमि आराजी ख0न0 29, 30 वाके ग्राम नाथडी, पटवार हल्का नाथडी में से होकर मुताबिक प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थिया को खातेदारी भूमि 81 में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उक्त रास्ते में काम आने वाली भूमि का क्षैत्रफल निकालकर नवीनतम डी.एल.सी. दर के आधार पर दुगुनी प्रतिकर राशि की गणना कर, रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की मालियत का मूल्याकंन करे। तदनुसार प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को भुगतान किये जाने व प्रतिपक्षी द्वारा राशि नही लिये जाने की स्थिती में जमा राजकोष किये जाने के उपरान्त प्रतिपक्षी की भूमि का रकबा कम किया जाकर नवीन रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करे एवं नक्शा शीट मुताबिक प्रस्तावित नक्शा शीट अनुसार तरमीम करे। निर्णय आज दिनांक 05.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अमिता कुमारी खटीक आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)